न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 53/2019/अपील/एल0आर0एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांक 25.6.2019
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

बजरगी बाई पत्नी बाबूलाल पुत्री बिरधीलाल जाति माली निवासी पिपलाज तहसील खानपुर जिला झालावाड।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. मडीबाई पुत्री सरवन पत्नी सीताराम जाति माली नि0 ग्राम पिपलाज तह0 खानपुर जिला झालावाड।
2. तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार झालावाड।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तेजमल जेन अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक–रेस्पो0 कम 2, 3

:: निर्णय ::

दिनांक 9.11.2021

अपीलार्थी बजरंगी बाई द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड द्वारा प्रकरण संख्या 68/अपील/18 अपील बनाराजगी आदेश 10.11.2017 नामा0 सं0 2047(2048) तह0 खानुपर बउनवान मडी बाई बनाम बजंरगी बाई वगेरा मे पारित निर्णय 17.5.2019 से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील रेस्पो0 के विरूद्ध राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि मडी बाई के खाते ग्राम पीपलाज तह0 खानपुर स्थित आराजी जुमला 14 किता की 40 बीघा 14 बिस्वा मे दर्ज हिस्सा 1/20 की भतीजी बंजरगी बाई द्वारा धोखे से रिलीज डीड कराई जाना वर्णित करते हुये उक्त रिलीज डीड के आधार पर तहसीलदार खानपुर द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 सं0 2048 (2047) के विरूद्ध मडीबाई द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु पेश की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.5.2019 को मडीबाई द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 2048 (2047) को निरस्त करते हुये प्रकरण मे सभी संबधित पक्षकारो को तलब कर उनका पक्ष सुनते हुये आवश्यक तहकीकात की जाकर पुनः विधि अनुरूप इंतकाल तस्दीक करने हेतु तहसीलदार खानपुर को प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही किया कि किसी भी महिला के नाम कोई भी सम्पत्ति उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है, और उसके जीते जी उस सम्पत्ति मे किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नही होता है। मडी बाई को उक्त आराजी अपने पीहर पिता की विरासत से प्राप्त हुई थी जो उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति के समान है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय इस तथ्य के आधार पर पारित किया है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम मे रिलीज डीड से हस्तानान्तरण का प्रावधान नही है जबकि रिलीज डीड हस्तान्तरण प्रलेख नही है और राजस्व मण्डल ने 2008 के पश्चात् रिलीज डीड को अपने निर्णयों मे मान्यता दी है। ऐसी स्थिति मे इन्तकाल

जेसी सरसरी कार्यवाही मे रजिस्टर्ड दस्तावेज को मान्य करना चाहिये था। रजिस्टर्ड रिलीज डीड केवल सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के संबध मे आदेश पारित किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.5.2019 को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 कम–1 मडी बाई बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर उसकी तामील पूर्ण मानी जाकर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 कम–2 व 3 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि महिला के नाम कोई भी सम्पत्ति उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है, और उसके जीते जी उस सम्पत्ति मे किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नही होता है। मडी बाई को उक्त आराजी अपने पीहर पिता की विरासत से प्राप्त हुई थी जो उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति के समान है। राजस्व मण्डल ने 2008 के पश्चात रिलीज़ डीड को अपने निर्णयों मे मान्यता दी है। रजिस्टर्ड रिलीज डीड केवल सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के संबध मे आदेश पारित किये बिना ही निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2013 (2) पेज 832, आरआरडी 1989 पेज 540 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने काक अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 कम 2 व 3 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एंव अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक है या नही इस सम्पत्ति के वारिसान कौन है इस तथ्य पर तहसीलदार खानपुर द्वारा गौर किये बिना ग्राम पीपलाज के नामान्तरकरण संख्या 2048 (2047) तस्दीक कर दिये जाने के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.5.2019 से उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार खानपुर को प्रकरण मे सभी संबधित पक्षकारों को एक बार पुनः तलब कर उनका पक्ष सुनकर तथा आवश्यक तहकीकात कर पुनः विधि अनुरूप निर्णय इन्तकाल तस्दीक की कार्यवाही अमल मे लायी जाने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का समुचित परीक्षण कर उक्त निर्णय पारित किया है क्योंकि जेरअपील निर्णय मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकट किये गये अभिमत के संबध मे जांच, परीक्षण न्यायालय तहसीलदार खानपुर द्वारा ही की जा सकती है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें आरआरटी 2013 (2) पेज 832, आरआरडी 1989 पेज 540 प्रश्नगत अपील प्रकरण मे चस्पा नही होती है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से हम जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 9.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराधा भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त